

FORM NO. III

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (नियम 26) 2023-67
बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ हुकर

किसम मुकद्दमा श्री उदमलाल बनाम मोगीलाल सन्

श. फ. 128 LRACT

39/2023

तारीख हुकम	हुकम का कार्यवाही का अधिकारिता जग	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....पाला खेड़ी..... की ग्राम.....628 ठका 0.21 है. 648 ठका 0.18..... की आन.....0.39..... की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे।

प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये 1000/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।

पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

UP
उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी

